....बनाम.......................................

किस्म मुकहमा...

नम्बर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
14-3-18	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधि. महो. राजकीय दौरे पर होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्यकारी दि. 18-4-18 को पेश हो।	
19-4-18	अवकाश होने से 18-4-18 को पत्रावली पेश हुई। वकुलेन फरीकैन उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य हेतु एक और अवसर चाहा गया. पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है न्यायहित में 200/- की कोस्ट पर अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यकारी दि. 9/5/2018 को पेश हो। SDO	
9-5-18	न्याय आपके द्वार (शिविर अडोरा) में पत्रावली तलबी पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा साक्ष्य में गवाहान PW-1 वेलजी PW-2 लालजी PW-3 धुलजी के बयान लेखबद्ध कराये गये। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड को प्रदर्श कराया गया। प्रतिवादी भूमिधारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार आसपुर द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। पक्षकारान की मजमेआम में बहस सुनी गई। पक्षकारान द्वारा वाद-वर्णित भूमि पर अपना कब्जा होना बताया गया तथा वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से खातेदारी होना तथा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा वादवर्णित भूमि को बिलानाम आराजीयात में सम्मिलित कर देना बताया गया एवम् सेटलमेण्ट विभाग उक्त भूमि का रद्दोबदल करने का अधिकारी नहीं होना बताया। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ोदा के संवत् 1982 से 1991 में खसरा नम्बर 1856 रकबा 1.18 बीघा, 1862 रकबा 0.07 बीघा 1860 रकबा 1.16 बीघा 1864 रकबा 1.17 बीघा 1858 रकबा 1.17 बीघा 3534 रकबा 1.10 बीघा 1857 रकबा 3.19 बीघा, 1861 रकबा 0.11 बीघा, 1859 रकबा 0.18 बीघा, 1863 रकबा 0.16 बीघा 3530 रकबा 0.19 बीघा कुल रकबा 15-09 बीघा जो अंकित थी,	

PTO

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व अहकाम हुक्म में
	तथा सेटलमेण्ट विभाग को उक्त भूमि का रद्दो बदल करने का अधिकार नहीं होना बताया भूमिधारी तहसीलदार आलपुर द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ौदा के वादग्रस्त आराजीयात को समस्त बागड़िया पटेलान एवं श्री गौड़ ब्राह्मण बड़ौदा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है उनके नाम दर्ज करने तहसीलदार आलपुर को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें। मिसल निर्णय प्रारूप से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। [signature] भूमिधारी कैम्प बड़ौदा	

Scanned by CamScanner